केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय)
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN
,18संस्थागत क्षेत्र शहीद जीत सिहं ,मार्ग
18, Institutional Area ShaheedJeet Singh Marg,
नई दिल्ली/NEW DELHI-11001
दूरभाष/Tele: 26858570,फ़ैक्स/Fax: 011-26514179
वेब/Website: www.kvsangathan.nic.in

No.11038/1(Ext.)/2019/KVS(HQ)/E-II

दिनांक:-12.02.2020

सूचना

विषय : सीधी भर्ती द्वारा जारी नियुक्ति पत्र में दी गई कार्यभार ग्रहण अवधि विस्तार के संबंध में।

उन सभी संबन्धित चयनित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता हैं जिनको सीधी भर्ती के द्वारा पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी (संगीत), पीआरटी, लाइब्रेरियन, सहायक अनुभाग अधिकारी, वरिष्ठ सचिवालय सहायक एवं कनिष्ठ सचिवालय सहायक के पद पर रिजर्व पैनल से माह नवम्बर 2019 एवं जनवरी 2020 में नियुक्ति पत्र संबंधित उपायुक्त, क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा जारी किए गए है कि वे दिए गए समय के अंतर्गत अपना कार्यभार ग्रहण करें। यदि वे किसी कारण से निश्चित समयावधि के दौरान कार्यभार ग्रहण नही कर सकते एवं समय-विस्तार के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो उन्हे यह निर्देश दिया जाता है कि वे अपना आवेदन पत्र संबंधित उपायुक्त केन्द्रीय विद्यालय संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित करें। ताकि उनके आवेदन पर नियमानुसार उचित कार्यवाई की जा सके।

समय-विस्तार के विषय में सभी उपायुक्त, क्षेत्रीय कार्यालयों को केंद्रीय विद्यालय संगठन(मु.) के पत्र दिनांक 05.02.2020 द्वारा दिशानिर्देश जारी किए जा चुके है जिसकी प्रतिलिपि संग्लन है।

12/2/2020
(विमलेश कुमार सिंह)
सहायक आयुक्त (स्था.2/3)

केन्द्रीय विद्यालय संगठन
केन्द्रीय विद्यालय संगठन(मुख्यालय)
KendriyaVidyalayaSangathan (HQ)
18,संस्थागत क्षेत्र,शहीद जीतसिंह मार्ग
18, Institutional Area,SaheedJeet Singh Marg
नई दिल्ली/New Delhi-110016
फोन न./Phone no.26858570, फैक्स/FAX26524580
वेबसाइट/Website: www.kvsangathan.nic.in
ईमेल/Email: kvshindisection@gmail.com

फा०सं०11038/1(एक्सटेंशन.)/2019/के०वि०सं०(मु०)/स्था-II अनुभाग / दिनांक : 05.02.2020

उपायुक्त
केंद्रीय विद्यालय संगठन
समस्त क्षेत्रीय कार्यालय।

विषयः सीधी भर्ती के माध्यम से आरक्षित पैनल द्वारा पीजीटी / टीजीटी (कला शिक्षा,कार्यानुभव शिक्षा, शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा),पीआरटी(संगीत) और पुस्तकालयाध्यक्ष नवम्बर 2019 में और जनवरी 2020 में नियुक्त किये गये पीआरटी,टीजीटी(हिंदी,अंग्रेजी,संस्कृत, विज्ञान, गणित,सामाजिकअध्यन),सहायक अनुभाग अधिकारी,वरिष्ठ सचिवालय सहायक और कनिष्ठ सचिवालय सहायक के कार्यभार ग्रहण समय को बढ़ाने के संबंध में।

महोदया / महोदय,

उपर्युक्त विषय पर सूचित किया जाता है कि केविसं द्वारा सीधी भर्ती के माध्यम से आरक्षित पैनल द्वारा पीजीटी / टीजीटी (कला शिक्षा, कार्यानुभव शिक्षा, शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा), पीआरटी (संगीत) और पुस्तकालयाध्यक्ष नवम्बर 2019 में तथा जनवरी 2020 में पीआरटी, टीजीटी(हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्यन), सहायक अनुभाग अधिकारी, वरिष्ठ सचिवालय सहायक और कनिष्ठ सचिवालय सहायक के पद पर नियुक्त किये गये।

केविसं (मुं) नई दिल्ली को आरक्षित पैनल के माध्यम से भर्ती किये गये अभ्यर्थियों से कार्यभार ग्रहण करने के समय को बढ़ाने के लिए अनेक आवेदन प्राप्त हो रहे हैं तथा कुछ अभ्यर्थी इस संबंध में सीधे ही केविसं (मु) में आ रहे हैं। अतः आयुक्त केविसं द्वारा केविसं के क्षेत्रीय कार्यालयों के उपायुक्तों को प्राधिकृत किया गया है कि वे जरुरतमंद अभ्यर्थियों की तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने के समय को बढ़ाने की अनुमति प्रदान करते समय **निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखेः-**

1. महिला अभ्यर्थी जो गर्भवती है उन्हें नियुक्ति के प्रस्ताव के पैरा 2 में किए गए उल्लेख के अनुसार कार्यभार ग्रहण करने से संबंधी विस्तार दे दिया जाए।
2. जो अभ्यर्थी दूसरे विभागों/ संगठनों में कार्य कर रहे हैं उन्हें अपने संबधित विभाग/ संगठन से कार्यमुक्त होने के लिये तर्कसंगत समय की अनुमति प्रदान कर दी जाए परन्तु यह अवधि नियुक्ति प्रस्ताव जारी करने की तारीख से 4 महीने से अधिक नहीं होनी चाहिए।
3. दिव्यांग अभ्यर्थी और किसी अन्य संस्थान में नियमित रुप से अध्ययन कर रहे अभ्यर्थियों की कठिनाईयों और अपेक्षा के अनुसार कार्यभार ग्रहण करने के समय की अनुमति दे दी जाएं परन्तु ऐसी अनुमति नियुक्ति प्रस्ताव जारी करने के 6 महीने से अधिक अवधि की नहीं होनी चाहिए।
4. अन्य सभी अभ्यर्थी जो उपर्युक्त प्रावधानों के अंतर्गत सम्मिलित नहीं हैं परन्तु उन्होंने 45 दिन से अधिक ड्यूटी पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु समय बढ़ाने का अनुरोध किया है ऐसे मामलो में संबंधित उपायुक्त द्वारा अन्य 45 दिन की अवधि बढ़ाने के संबंध में विचार किया जाए और यदि किसी मामले में वाजिब कारण होने की स्थिति में यदि उपायुक्त पूर्णतः सहमत हों तो ऐसी स्थिति में नियुक्ति प्रस्ताव को जारी करने की तारीख से कुल 90 दिन की अवधि का समय विस्तार दिया जा सकता है।

अनुरोध है कि आप इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करें।

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

भवदीय,

5/2/2020

(विमलेश कुमार सिंह)
सहायक आयुक्त(स्था-2&3)

प्रतिलिपिः-अनुभाग अधिकारी,स्था-III अनुभाग,केविसं(मुं) को सूचना व आवश्यक कार्रवाई हेतु।